विदेशी मुद्रा गतिविधियां

अप्रैल 2008

(i) भारत में आनेवाले आयातों के लिए व्यापार ऋण--समग्र-लागत सीमा की समीक्षा

एक वर्ष तक के व्यापार ऋणों के संबंध में समग्र-लागत सीमा संबंधित करेंसी के लिए लंदन-अंतर-बैंक प्रस्तावित दर 6 माह के लिबोर से ऊपर के लिए 50 आधार अंक से बढ़ाकर 6 माह के लिबोर से ऊपर के लिए 75 आधार अंक की गई अथवा लागू बेंचमार्क है । व्यापार के अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित हैं।

[28 मई 2008 का ए.पी. (डीआइआर श्रृंखला) परि. सं.42]

(ii) बाह्य वणिज्यिक उधार नीति में उदारीकरण

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति की समीक्षा करके इसके कुछ पहलुओं को निम्नवत् संशोधित किया गया है :

(क) मौजूदा समय में, स्वीकार्य अंतिम उपयोग के लिए भारतीय रुपये में व्यय हेतु 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वणिज्यिक उधारों के प्रस्ताव देते समय अनुमोदन मार्ग के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है ।यह निर्णय लिया गया है कि , इसके बाद से

(i) संरचनात्मक क्षेत्र में उधारकर्ता अनुमोदन मार्ग के तहत अंतिम उपयोग के लिए स्वीकार्य भारतीय रुपये में व्यय हेतु 100 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

(ii) अन्य उधारकर्ताओं के मामले में अनुमोदन मार्ग के तहत , स्वीकार्य अंतिम उपयोग के लिए भारतीय रुपये में व्यय हेतु बाह्य वणिज्यिक उधारों की 20 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा को बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है ।

(ख) समग्र-लागत से संबंधित सीमायें निम्नवत् संशोधित कर दी गई हैं।

औसत परिपक्वता अवधि	6 माह के लिबोर से ऊपर की समग्र लागत सीमा*	
	वर्तमान	पुनरीक्षित
तीन वर्ष और 5 वर्ष तक	150 आधार अंक	200 आधार अंक
5 वर्ष से अधिक	250 आधार अंक	350 आधार अंक

* : ऋण की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए।

बाह्य वणिज्यिक उधार नीति के अन्य पहलू जैसे कि अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत प्रति कंपनी के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा , पात्र उधारकर्ता , मान्यता प्राप्त उधारदाता, पूँजीगत माल तथा विदेशी निवेशों के लिए विदेशी मुद्रा व्यय का अंतिम उपयोग औसतन परिपक्वता अवधि, पूर्व चुकौती , वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा सूचना देने की व्यवस्था आदि अपरिवर्तित रहेंगे।

[29 मई 2008 का ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परि. सं.43]

(iii) एफडीआइ योजना के तहत रिपोर्टिंग-संशोधित क्रियाविधि

एफडीआइ का ब्योरा अधिक समग्र रूप से प्राप्त करने के लिए फार्म एफसी-जीपीआर को 20 अप्रैल 2007 के ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 40 द्वारा संशोधित किया गया था। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की पुन: समीक्षा करके भावी संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और एफसी-जीपीआर फार्म का संशोधित ड्राफ्ट 14 मार्च 2008 को पब्लिक डोमेन में रखकर लोगों से फीडबैक मंगाया गया। प्राप्त फीडबैक के आधार पर फार्म एफसी-जीपीआर संशोधित किया गया। इसके अलावा, शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए प्रतिफल की राशि प्राप्ति की सूचना देने का मानक फार्मेट निर्धारित किया गया है। राशि का विप्रेषण करने वाले विदेशी बैंक से अनिवासी निवेशक पर केवायसी रिपोर्ट का फार्मेट भी शुरू किया गया जोकि फार्म एफसी-जीपीआर के साथ प्रस्तुत किया जाना है। अब से केवायसी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण अनिवासी निवेशक से प्रतिफल की राशि प्राप्ति की रिपोर्टिंग के समय ही दिया जाना है।

[30 मई 2008 का ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परि. सं.44]

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली 2000

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों में जमा

मौजूदा एंटी मनीलॉंडरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) को अनुमति दी गयी है कि वे विदेशी मुद्रा का नकदीकरण कर लें और केवल 3000मिलियन अमरीकी डॉलर या इसके सममूल्य तक नकद भुकतान करें । 3000मिलियन अमरीकी डॉलर या इसके सममूल्य से अधिक होने पर उसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

उदारीकरण के एक उपाय के रूप में तथा अनिवासी विदेशी (एनआरई)खाताधारकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि

श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी (एडी श्रेणी-I) बैंक तथा प्राधिकृत बैंक विदेशी मुद्रा के नकदीकरण पर ,जहाँ अनिवासी विदेशी (एनआरई)खाताधारकों को जारी लिखत के साथ श्रेणी-I/ II के प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी नकदीकरण प्रमाणपत्र सलग्न किया गया हो, जारी डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक की आगत राशि को अनिवासी भारतीय के अनिवासी विदेशी खाते में जमा कर सकते हैं।

[30 मई 2008 का ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परि. सं.45]